भाग III

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 16 जून, 2011

संख्या का०आ० 54/ह०अ० 1/2011/धा० 13/2011.—हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम 1) की धारा 13 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ।

1\. (1) ये नियम हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) नियम, 2011 कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

परिभाषाएं।

2\. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम 1);

(ख) "अनुबद्ध" से अभिप्राय है, इन नियमों से संलग्न अनुबद्ध;

(ग) "धारा" से अभिप्राय है, इस अधिनियम की धारा।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त तथा अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमश: इन्हें अधिनियम में दिये गए हैं।

मालिकाना अधिकार, निहित करने के लिए आवेदन-पत्र। धारा 3

3\. (1) दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार तथा उनके हित उत्तराधिकारी जिनकी इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि को बीस वर्ष की अवधि पूर्ण हो गई है, अनुबद्ध में, मालिकाना अधिकार निहित करने के लिए इन नियमों, के प्रारंभ की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर सम्बद्ध कलक्टर को आवेदन करेगा।

(2) दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार तथा उनके हित उत्तराधिकारी जिनकी इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि को बीस वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई हो, मालिकाना अधिकार निहित करने के लिए इन नियमों के प्रारंभ की तिथि से छह मास की अवधि के भीतर सम्बद्ध कलक्टर को आवेदन करेगा।

(3) प्रश्नगत भूमि के अधिभोग में दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियों से अपना अधिभोग सिद्ध करेगा।

(4) आवेदन की प्राप्ति पर, कलक्टर आवेदक की पात्रता तथा उसके मालिकाना अधिकारों को निहित करने के लिए आदेश करने की तिथि को राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियों से उसके लगातार अधिभोग के बारे जांच करेगा :

परन्तु दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार को मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए आदेश करने से पूर्व कलक्टर सम्बद्ध भू-स्वामी या उसके हित उत्तराधिकारी जैसी भी स्थिति हो, को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

(5) यदि भूमि का स्वामी ग्राम पंचायत या शामलात देह है तो सुनवाई का अवसर सम्बद्ध ग्राम पंचायत को दिया जायेगा।

(6) यदि किसी प्लाट या स्थल या भवन का स्वामित्व आबादी देह में दावाकृत किया जाता है तो प्लाट या स्थल या भवन के ऊपर कब्जा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा गृह कर, राशन कार्ड, टेलीफोन बिल, जल प्रभार बिल या किसी अन्य सुसंगत दस्तावेज द्वारा सिद्ध करना होगा।

(7) कोई भी स्टाम्प शुल्क दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार को मालिकाना अधिकार प्रदान करने के मद्दे प्रभारित नहीं किया जायेगा।

प्रतिकर के लिए आवेदन-पत्र। धारा 4

4. (1) भू-स्वामी अनुबद्ध 2 में दिए गए प्ररूप में प्रतिकर के भुगतान के लिए सम्बद्ध कलक्टर को आवेदन करेगा।

(2) शामलात भूमि या पंचायत भूमि के संबंध में प्रतिकर सम्बद्ध ग्राम पंचायत को भुगतानयोग्य होगा।

(3) दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार द्वारा भू-स्वामियों या उनके हित उत्तराधिकारियों को भुगतानयोग्य प्रतिकर के लिए पंचाट की राशि राजकोष के माध्यम से भुगतान की जायेगी।

(4) प्रतिकर की राशि का भुगतान दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार या मुकररीदार से प्राप्त प्रतिकर की राशि से कलक्टर द्वारा सूचित कोषाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

अपील। धारा 5

5. (1) कलक्टर या आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील व्यक्तिगत रूप में या सम्यक् रूप से प्राधिकृत एजेंट के माध्यम से दायर की जा सकती है।

(2) अपील का ज्ञापन जिसके विरुद्ध अपील की गई है, तथा स्पष्ट रूप से अपील के आधारों को सूचित करेगा।

प्रतियां प्राप्त करना। धारा 13

6. इन नियमों के अधीन प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन नियम 10 में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी फीस के भुगतान पर किया जाएगा।

अभिलेख की जांच। धारा 13

7. कोई हितबद्ध व्यक्ति मालिकाना अधिकारों को प्रदान करने से संबंधित कार्यवाहियों या नियम 10 में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी फीस के भुगतान पर प्रतिकर के भुगतान के अभिलेख की जांच करेगा।

8. (1) इन नियमों के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश या जारी किया गया नोटिस रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा तामील किया जायेगा। नोटिस की तामील। धारा 4

(2) इन नियमों के अधीन जारी किया गया नोटिस उसमें कथित अवधि की समाप्ति पर प्रभावी होगा तथा ऐसी अवधि सामान्यतया किसी भी मामले में पन्द्रह दिन से कम नहीं होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश या नोटिस की तामील प्रभावित समझी जाएगी यदि आदेश या नोटिस उचित रूप से सम्बोधित तथा पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित किया गया हो।

(4) यदि सम्यक् तत्परता द्वारा सम्बद्ध व्यक्ति का पता ज्ञात नहीं किया जा सकता, आदेश या नोटिस सम्बद्ध कलक्टर के माध्यम से उसको प्रेषित किया जाएगा।

(5) यदि डाक द्वारा भेजा गया आदेश या नोटिस अपरिदत्त वापस आ जाता है या जहां कलक्टर या किसी अन्य प्राधिकारी की संतुष्टि हो जाती है कि यहां विश्वास करने के कारण है कि आदेश या नोटिस मामूली अनुक्रम में परिदत्त नहीं किया जा सकता, कलक्टर या कोई अन्य प्राधिकारी निदेश दे सकता है कि,—

(i) क्षेत्र में परिचालित समाचार-पत्र जिसमें सम्बद्ध व्यक्ति अंतिम रूप से निवास करता हो या कारबार कर रहा हो, में प्रकाशन द्वारा; या

(ii) सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में आदेश किया गया है या नोटिस जारी किया गया है, के सहजदृश्य स्थान पर उसकी प्रति चिपकाते हुए,

आदेश या नोटिस तामील की जाए।

9. कलक्टर स्थायी अभिलेख के लिए उचित रजिस्टर में, मालिकाना अधिकारों को प्रदान करने के सभी ऐसे आदेशों तथा प्रतिकर के भुगतान को, दर्ज करेगा। रजिस्टर। धारा 13

10. (1) अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन तथा जांच के मामले में पच्चीस रुपये की कोर्ट फीस उद्ग्रहणीय होगी। फीस। धारा 13

(2) इन नियमों के अधीन सभी आवेदन-पत्रों के साथ पाँच रुपये की कोर्ट फीस होगी।

(3) सभी फीसें, कोर्ट फीस स्टाम्प द्वारा भुगतान की जायेंगी।

अनुबन्ध 1

[देखिए नियम 3(1)]

दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार अथवा मुकररीदार से आवेदन-पत्र

सेवा में

कलक्टर

जिला...

विषय :— गांव.............................तहसील.............................जिला.............................**में स्थित भूमि/प्लाट/स्थल/निर्माण** के मालिकाना अधिकार को प्रदान करने के लिए आवेदन।

श्रीमान्

1. गांव....................................तहसील....................................जिला..में स्थित खसरा संख्या................................में समाविष्ट................................भूमि..................................से दोहलीदार/बुटीमार/भोंडेदार/मुकररीदार के रूप में आवेदक (आवेदकों) के अधिभोग में है/हैं)। (इस दावे के समर्थन में राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं)।

2. आरम्भिक स्तर पर भूमि का स्वामी श्री.................................सुपुत्र श्री................................. निवासी गांव............................तहसील............................जिला............................था तथा अब, वर्ष.................................की जमाबन्दी के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति प्रश्नगत भूमि के वर्तमान स्वामी हैं। (जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं)।

   (i) ....

   (ii) ....

3. यह कि हरियाणा दोहलीदार, बुटीमार, भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010, के उपबन्धों के अनुसार, मैं/हम गांव............................तहसील.................... जिला...........................में स्थित भूमि/प्लाट/स्थल/निर्माण के सम्बन्ध में मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए दावा करता हूँ/करते हैं।

4. यह कि मैं/हम श्री..........................सुपुत्र श्री.........................के हित उत्तराधिकारी है/हैं जो आरम्भिक स्तर पर भूमि/प्लाट/स्थल/निर्माण के दोहलीदार/बुटीमार/भोंडेदार या मुकररीदार था (इस दावे के समर्थन में दस्तावेज संलग्न)।

5. यह कि मैं/हम इस सम्बन्ध में पारित किये जाने वाले आदेशों की तिथि से दो मास के भीतर सरकार द्वारा यथा नियत ₹ 500/- की दर से ऐसे मालिकाना अधिकारों के बदले में प्रतिकर का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ/हैं।

6. यह कि उपरोक्त भूमि/प्लाट/स्थल/निर्माण के मालिकाना अधिकार (आवेदकों) के नाम अन्तरित किए जाएंगे।

धन्यवाद।

भवदीय,

स्थान : ....

दिनांक : ....

सभी आवेदकों के हस्ताक्षर,
नाम, माता-पिता तथा उनका पता।

अनुबद्ध 2

[देखिए नियम 4(1)]

भूमि के स्वामी (स्वामियों) से प्रतिकर के भुगतान के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में

कलक्टर.......................................

जिला..

विषय :— गांव............................तहसील............................जिला............................में स्थित भूमि/प्लाट/स्थल/निर्माण के प्रतिकर के भुगतान के लिए आवेदन।

महोदय

1. गांव.................................तहसील.................................जिला.................................में स्थित खसरा संख्या................................में समाविष्ट................................भूमि श्री................................सुपुत्र श्री................................के दोहलीदार/बुटीमार/भोंडेदार/मुकररीदार के रूप में अधिभोग में थी।
2. आरम्भिक स्तर पर भूमि का स्वामी श्री................................सुपुत्र श्री................................ निवासी गांव..........................तहसील..........................जिला..........................तथा जो हमारा पिता/दादा/पूर्वज था तथा अब निम्नलिखित व्यक्ति वर्ष................................की जमाबन्दी के अनुसार प्रश्नगत भूमि के वर्तमान स्वामी हैं। (जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं)।

   (i) ....

   (ii) ....
3. यह कि हरियाणा दोहलीदार/बुटीमार/भोंडेदार तथा मुकररीदार (मालिकाना अधिकार निहित करना) अधिनियम, 2010, के उपबन्धों के अनुसार व्यक्ति कलक्टर द्वारा उसके आदेश दिनांक..........................द्वारा भूमि के स्वामियों के रूप में घोषित किये गये हैं (प्रति संलग्न)।
4. इसलिए प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में हमारे को प्रतिकर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

धन्यवाद।

भवदीय,

स्थान : ....

सभी आवेदकों के हस्ताक्षर

दिनांक : ....

नाम, माता-पिता तथा उनका पता।

राज कुमार,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग।